

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर(राज.)

प्रार्थी श्रीमती चुन्नीबाई बनाम श्री दोला

किस्म मुकदमा 212 R.T.Act

पत्रावली संख्या : 134 / 18 (प्रा.पत्र)

| क्रम संख्या | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जो जारी की गईं। |
|-------------|---|--|
| | <p><u>दिनांक : 24.10.2018</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता श्री उदयलाल डांगी द्वारा प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दस्तावेजात के पेश कर विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थीया के अधिवक्ता को सुना। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवम दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः विपक्षी सं. 1 से 2 के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा मांगक्यावास पटवार हल्का मांगथला तहसील मावली के आराजी न. 1782, 1783, 1785, 1786, 1787, 1788, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 किता 11 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि में विपक्षी सं. 1 से 2 दिनांक 30.10.18 तक वादग्रस्त आराजीयात के रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।</p> <p>विपक्षी सं. 1 से 2 को हुक्म ईमतनाई आरजी मजरिया जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी विपक्षीगण दिनांक 30.10.2018 को पेश हो।</p> | |

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

20/10/18
पत्रावली पेश हुआ। वकाल प्राप्ता/अगलाष्ट/रतिवादी / विपक्षी / रिम्पो उपस्थित/पीठासीन-अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिडिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 12/10/18 को पेश हुआ।

19/11/18
पत्रावली पेश हुआ। वकाल प्राप्ता/अगलाष्ट/रतिवादी / विपक्षी / रिम्पो उपस्थित/पीठासीन-अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिडिंग में पधारें हैं। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 11/12/18 को पेश हुआ।

11/12/19
अगले दिनांक को बार एग्जिस्टिंग मावली ने कार्य स्वगित रखने का प्रस्ताव किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश द्वारा दिनांक 11/12/19 को पेश हो।

11/01/19
पत्रावली पेश की। सी विपक्षी/रतिवादी के गतिविधि बरे नकार रही। पत्रावली दिनांक 24/01/19 को पेश हुआ।

24/01/19
पत्रावली पेश की। सी अधिकारी/जर्गी/सी/रतिवादी/विपक्षी/रिम्पो उपस्थित/पीठासीन/अधिकारी महो. कोई कार्यवाही नहीं। या हने से पत्रावली इसी ताल पर ही पेश की जाती है। पत्रावली कौशल/तुम्हारे द्वारा नकार में हुआ है।



निर्णय सुनाया गया।
सहायक कमिश्नर (SDO) मावली